केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/59 दिनांक: 01.03.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00047
CICOM/R/2019/00053

अपीलकर्ता : श्री यशपाल मलिक,
नेशनल प्रेसीडेंट, नार्थ इंडिया एंटी करप्शन
एंड क्राइम प्रीवेन्शन ऑर्गेनाइजेशन,
कोठी नं. 223-ए, लतीफ गार्डन,
मॉडल टाउन, पानीपत ।

निर्णय की तारीख : 28.02.2019

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 04.01.2019 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 15.01.2019, 21.01.2019, 28.01.2019, 30.01.2019, 08.02.2019, 11.02.2019 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, श्री एस. सी. शर्मा, श्री एच. पी. सेन, श्री ए. के. असीजा, श्री टी. के. महापात्र, श्री आर. पी. ग्रोवर, श्री जीवन चंद्र, श्री एस. एस. रोहिल्ला, श्री किशोर कुमार पुखराल, श्रीमती सविता तलूजा, श्री एस. के. रब्बानी |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 06.02.2019 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि | 73/20.02.2019 (9008/19.02.2019) |

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 04.01.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 16 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का उक्त आर.टी.आई. आवेदन केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 10.01.2019 को प्राप्त हुआ तथा आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु उक्त आवेदन केन्द्रीय सूचना आयोग के विभिन्न जन सूचना अधिकारियों को अग्रसारित किया गया एवं बिंदु सं. 6 से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु आर.टी.आई. आवेदन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अग्रसारित किया गया, जिसकी सूचना अपीलकर्ता को श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा दिनांक 14.01.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2019/00053 के माध्यम से दी गई, उसी पत्र के माध्यम से बिंदु सं. 7 से संबंधित सूचना भी प्रेषित की गई । अन्य बिंदुओं से संबंधित सूचना निम्नलिखित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई:-

| बिंदु सं. | सूचना प्रदान करने वाले केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम | सूचना प्रदान करने की तिथि |
|---|---|---|
| 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15 एवं 16 | श्रीमती सविता तलूजा (बिंदु सं. 10 से संबंधित सूचना हेतु आवेदन विधि अनुभाग को अग्रसारित किया गया) | 8.02.2019 |
| 4 | श्री एस. के. रब्बानी | 11.02.2019 |
| 8 एवं 13 | श्री एस. एस. रोहिल्ला | 30.01.2019 |
| 10 | श्री किशोर कुमार पुखराल | 30.01.2019 |
| 12 | श्री जीवन चंद्र | 28.01.2019 |
| 13 | श्री एस. सी. शर्मा, श्री एच. पी. सेन, श्री ए. के. असीजा, श्री टी. के. महापात्र, श्री आर. पी. ग्रोवर | 15.01.2019, 15.01.2019, 15.01.2019 15.01.2019, 15.01.2019 |

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/59 दिनांक: 01.03.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00047
CICOM/R/2019/00053

3. आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 10 के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं के संदर्भ में विभिन्न केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं से अधोहस्ताक्षरी पूर्णतः सहमत हैं । आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 11 से संबंधित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं करवाई गई है । बिंदु सं. 10 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न अदालतों में चल रहे भ्रष्टाचार एवं आपराधिक मामले (यदि चल रहे हों तो) एवं बिंदु सं. 11 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को पद से हटाने के लिए नियम, कानून एवं शर्तें दोनों ही प्रशासन स्कंध से संबंधित मामले हैं । तद्नुसार श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रशासन अनुभाग को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर अपीलकर्ता को आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 10 एवं 11 से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएं ।

4. विभिन्न केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न हैं ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रशासन अनुभाग, केन्द्रीय सूचना आयोग ।

05/03/19
5/3/19

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
05 MAR 2019
D. No.
Initials.